

‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना

प्रलिस के ललल

‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना

मेन्स के ललल

‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना की आवश्यकता और इसकी आलोचना

चरचा में क्यों?

केंद्र सरकार ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) योजना के तहत बीते पाँच वर्षों में 20.6 लाख से अधिक सेवानवृत्त रक्षाकर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए की राशिवितरित की है।

प्रमुख बढु

- केंद्र सरकार ने 7 नवंबर, 2015 को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) योजना की अधिसूचना जारी की थी, जसमें कहा गया था कयह योजना 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश (2.28 लाख) और पंजाब (2.12 लाख) में ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।
 - हालाँकि इन आँकड़ों में नेपाल के पेंशनधारकों का ववरण शामिल नहीं कयिा गया है।

क्या है ‘वन रैंक, वन पेंशन’?

- ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) का अर्थ है क सेवानवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवध और समान रैंक पर सेवानवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्यकर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। इस तरह से ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) का मतलब आवधक अंतरालों पर वर्तमान और पछिले सेवानवृत्त सैन्यकर्मियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को कम करना है।
- जबक इससे पूर्व की व्यवस्था में जो सैनिक जतिनी देरी से सेवानवृत्त होता था, उसे पहले सेवानवृत्त होने वाले सैनिकों की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त होती थी, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन पर नरिभर करता है और समय-समय पर वेतन आयोग की सफारशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृध होती रहती है।
 - इस तरह वर्ष 1995 में सेवानवृत्त होने वाले एक लेफ्टिनेट जनरल को वर्ष 2006 के बाद सेवानवृत्त होने वाले एक कर्नल की तुलना में कम पेंशन प्राप्त होती थी।

पृष्ठभूमि

- असल में वर्ष 1973 से पूर्व ‘वन रैंक, वन पेंशन’ को लेकर कसी भी प्रकार का कोई ववाद नहीं था, पर वर्ष 1973 में तीसरे वेतन आयोग की रपिर्ट के प्रकाशन के साथ ही प्रधानमंत्री इंदरिा गांधी ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के तत्कालीन स्वरूप को समाप्त कर दयिा।
- वर्ष 1973 में तीसरे वेतन आयोग से पूर्व सशस्त्र बलों के सभी सेवानवृत्त कर्मियों को उनके अंतिम वेतन का 75 प्रतिशत हसिसा पेंशन के रूप में भुगतान कयिा जाता था। साथ ही उस समय तक ऐसे सेवानवृत्त रक्षाकर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं कयिा जाता था, जन्होंने पाँच वर्ष से कम अवध के लयि अपनी सेवाएँ दी हों।
- तीसरा वेतन आयोग
 - अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इसने रक्षाकर्मियों को भी तीसरे वेतन आयोग के दायरे में ला दयिा, आयोग ने पेंशन के तौर पर सभी पूर्व कर्मचारियों (जसमें रक्षाकर्मी भी शामिल हैं) के लयि केवल 50 प्रतिशत वेतन की सफारशि की, जसके कारण सविलि कर्मियों की पेंशन तो 33 प्रतिशत से बढकर 50 प्रतिशत हो गई, कति रक्षाकर्मियों की पेंशन 75 प्रतिशत से घटकर 50 प्रतिशत पर पहुँच गई।
- इसके बाद वर्ष 1979 में तत्कालीन वतित मंत्री एच.एन. बहुगुणा ने मूल वेतन के एक हसिसे को महंगाई भत्ते में वलिय करके सेवारत सैनिकों के वेतन में

वृद्धि कर दी, जिससे वर्ष 1979 के बाद सेवानवृत्त होने वाले सैन्यकर्मियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गई और यहीं से सेवानवृत्त सैनिकों की पेंशन के बीच अंतर आना शुरू हो गया।

‘वन रैंक, वन पेंशन’ की आवश्यकता क्यों?

- छठे वेतन आयोग की सफ़ारिशों के लागू होने तक ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के मुद्दे को लगभग भुलाया जा चुका था, पर जब इस आयोग की सफ़ारिशें लागू की गईं तो पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन का अंतर और भी ज़्यादा बढ़ गया।
 - इस आयोग की सफ़ारिशों के लागू होने से वर्ष 2006 में सेवानवृत्त होने वाले एक मेजर जनरल को वर्ष 2014 में सेवानवृत्त होने वाले अपने समकक्ष से 30,000 रुपए कम पेंशन मिलने लगी, जो क़िएक़ काफी बड़ी राश़ी थी।
 - पेंशन में इतनी अधिक असमानता के कारण पूर्व-सैनिकों के बीच ‘वन रैंक, वन पेंशन’ को लेकर एक आंदोलन शुरू हो गया और सभी स्तरों पर एक समान पेंशन की मांग की जाने लगी।
- ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के अधिकांश समर्थकों का मानना है कि ‘सशस्त्र बल’ के रक्षाकर्मियों और सविलि कर्मचारियों को पेंशन के मामले में एक समान रूप से नहीं देखा जाना चाहिये, क्योंकि अधिकांश रक्षाकर्मियों 33 से 35 वर्ष की आयु में सेवानवृत्त होते हैं, जबकि सविलि कर्मचारियों की सेवानवृत्त आयु 60 वर्ष होती है। इसी वजह से सेवा की कम अवधि के कारण कम वेतन मिलने से रक्षाकर्मियों का मनोबल प्रभावित होता है।

रक्षा पेंशन और ‘वन रैंक, वन पेंशन’ की आलोचना

- केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा पेंशन के लिये 1,33,825 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 में यह राश़ी केवल 12,715 करोड़ रुपए थी।
- 1,33,826 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 4.4 प्रतिशत या देश की कुल GDP का 0.6 प्रतिशत है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को कुल बजट आवंटन का 28.4 प्रतिशत हिस्सा केवल रक्षा पेंशन में ही जाता है।
- इस लहज़ा से भारत का रक्षा पेंशन बजट, रक्षा मंत्रालय के कुल पूंजीगत व्यय से काफी अधिक हो गया है, जिसका अर्थ है कि रक्षा मंत्रालय सेना के आधुनिकीकरण पर कम और पूर्व-सैनिकों की पेंशन पर अधिक खर्च कर रहा है।
- कई बार ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना की आलोचना सरकार पर इसके वित्तीय बोझ के कारण की जाती है। दरअसल भारत में हर साल औसतन 50-60 हज़ार सैनिक सेवानवृत्त होते हैं, क्योंकि सेना के अधिकांश जवान 33 से 35 वर्ष की आयु तक सेवानवृत्त हो जाते हैं।
 - इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष रक्षा पेंशन बजट में बढ़ोतरी होती रहती है। इसके अलावा चूँकि रक्षाकर्मियों काफ़ी कम उम्र में सेवानवृत्त होते हैं, जिसके कारण वे लंबे समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं, जबकि सविलि कर्मचारी प्रायः 60 वर्ष की आयु में सेवानवृत्त होते हैं, जिसके कारण वे रक्षाकर्मियों की अपेक्षा कम समय तक पेंशन प्राप्त करते हैं।

स्रोत: द हिंदू